

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, कैमूर, भभुआ के पत्रांक(कॉलम 4 में वर्णित) से 03 श्रमिक के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 90000/- (नब्बे हजार रूपए) एवं दुर्घटना में मृत 06 श्रमिकों के आश्रित को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 600000/- (छः लाख रूपए) अर्थात् कुल राशि ₹ 690000/- (छः लाख नब्बे हजार रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम(संबंध)/ दावेदार	जिलाधिकारी/श्रम अधीक्षक का पत्रांक/ दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० विजयमल पासवान, 30, श्री राधामोहन पासवान, अनु० जाति	श्रीमती विशालावतीदेवी (पत्नी)	289/27.04.19	ग्रा०-सदासपुर, पो०-अकोट्टी, प्र०-मोहनियाँ, कैमूर	2696001 5001390 08	PNB MOHANIA, PUNB0269600	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, बस चालक
2	स्व० गुड्डू राम, 33, श्री डोमा राम, अनु० जाति	श्रीमती दुलारी कुंवर (पत्नी)	440/08.07.2019	ग्रा०-बहुआरा, पो०-मुजान, प्र०-मोहनियाँ, कैमूर	7372010 0073868	MBGB LAHURIWARI SASARAM, PUNBOMBGB06	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, कृषि श्रमिक
3	स्व० पताली राम, 35, श्री काशी राम, अनु० जाति	श्रीमती रीता कुंवर (पत्नी)	441/08.07.2019	ग्रा०-कुकराद, पो०-सोनहन, प्र०-भभुआ, कैमूर	3159000 1001295 17	PNB SOHAN, PUNB0315900	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, कृषक मजदूर
4	स्व० राम दहिन बिन्द, 49, स्व० शिवधनी बिन्द, सामान्य	श्रीमती धनरी देवी (पत्नी)	442/08.07.2019	ग्रा०+पो०-अखलास पुर, प्र०-भभुआ, कैमूर	3640177 3479	SBI, KIOSK BANKING, SBIN0009185	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषक मजदूर
5	स्व० राधेश्याम राम, 40, श्री विशुन राम, अनु० जाति	श्रीमती मुन्नी कुंवर (पत्नी)	443/08.07.2019	ग्रा०+पो०-कुड़ासन, प्र०-भभुआ, कैमूर	3219962 9240	SBI, DATIYAON, SBIN0009616	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, पशु चरने का कार्य
6	स्व० शंकर बिन्द, 60, स्व० बनवारी बिन्द, सामान्य	श्रीमती परपतिया देवी (पत्नी)	444/08.07.2019	ग्रा०-सरेवाँ, पो०-कुड़ासन, प्र०-भभुआ, कैमूर	3494285 0182	SBI, SBIN0009616	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, ठेला चालक
7	स्व० संजय कुमार प्रजापति, 28, श्री रामकिशुन प्रजापति, सामान्य	श्रीमती प्रियका कुंवर (पत्नी)	445/08.07.2019	ग्रा०-भभुआ, वार्ड 16, पो०+ प्र०-भभुआ, कैमूर	3347101 002967	CANARA BANK, BHABUA, CNRB0003347	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, खाना बनाने का कार्य में कामगार मजदूर
8	स्व० नन्हे बिन्द, 25, श्री बुधन बिन्द, सामान्य	श्री राजा बाबू कुमार (पुत्र)	446/08.07.2019	ग्रा०-सिकठी, पो०-अखलासपुर, प्र०-भभुआ, कैमूर	1953010 063115	UNITED BANK OF INDIA, BHABUA, UTBIOBBUQ27	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, पॉल्ट्री फॉर्म में कामगार मजदूर
9	स्व० सुराली बिन्द, 49, श्री जगु बिन्द, सामान्य	श्रीमती प्रमोला कुंवर (पत्नी)	451/10.07.19	ग्रा०-सेमरियाँ, पो०-बारे, प्र०-भभुआ, कैमूर	4622101 1001291 9	BOI, BHABUA, BKID0004622	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि मजदूर

कुल :- ₹ 690000/-

(छः लाख नब्बे हजार रूपए)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8)का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव में सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-अपर मुख्य सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० स०-42/2019 के पृष्ठ-08/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(राम रूप प्रसाद)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० स०-42/2019

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(राम रूप प्रसाद)


कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० स०-42/2019-५०९

पटना, दिनांक :-१०-११-१९

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए/ लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 690000/- (छः लाख नब्बे हजार रूपए)का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/ श्रम अधीक्षक, कैमूर, भभुआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/जिला पदाधिकारी, कैमूर, भभुआ को सूचनार्थ प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग(विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित/ माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।



(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी



(राम रूप प्रसाद)

कार्यकारी निदेशक।